पत्र सं0–14 / डी0एल0ए0 (पावर सब स्टेशन)–अररिया–139 / 2013–............... / रा0 पटना, दि0 .. / ..... / 2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

भू–अर्जन शाखा

(अधिसूचना)

पत्रांक - 2504 / आर0, पटना, दिनांक - 17-10-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि अररिया जिला अन्तर्गत रानीगंज अंचल के मौजा बसैटी थाना नं0–54 में बसैटी पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन लिया जाना अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचना की जाती है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा बसैटी थाना नं0 54 के भीतर एक टुकड़ा भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश **0.60 एकड़** के बराबर होता है जिसका प्लॉट सं0 निम्नांकित है: -

भू–विवरण

खाता	खेसरा	रकवा एकड़ में
603	672 (अंश)	0.20
	671 (अंश)	0.29
849	670 (अंश)	0.11
कुल		**0.60** एकड़

चौहद्दी : - उत्तर : खेसरा सं0 671, 672
दक्षिण :– खेसरा सं0 671, 670
पूरब : रानी बाँध (सड़क)
पश्चिम : खेसरा सं0 670

यह अधिसूचना बिहार, भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 04 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित है, उन सभी रैयतों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान में तत्समय अंचल पदाधिकारी, रानीगंज को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा–2 में तथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5(क) उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/10/13
समाहर्त्ता,
अररिया

Sd/-
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2504 / भू–अर्जन, पटना दिनांक - 17-10-13

प्रतिलिपि : निदेशक, जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला गजट, अररिया समाहरणालय के जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस–दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, अररिया / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पुर्णियां प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 17/10/13
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।